315hi16

16

भारत में ब्रिटिश शासन का संस्थापन 1857 तक

भारत में अंग्रेजों के औपचारिक शासन से पूर्व भारतीय–यूरोपीय आर्थिक संबंध भी पृष्ठ–भूमि में थे। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी, जिसे कभी–कभी जॉन कंपनी भी कहा जाता था। सन् 1600 में स्थापित संयुक्त शेयर कम्पनी थी जिसे लंदन के उन व्यापारियों ने स्थापित किया था जो ईस्ट इण्डीज में व्यापार करते थे। इस दौरान अन्य व्यवसायिक कंपनियाँ जैसे पुर्तगाली, डच, फ्राँस, डेनमार्क भी, भारत में अपने प्रभुत्व का विस्तार कर रही थीं। भारत में ईस्ट इण्डिया कम्पनी को अपने पाँव पसारने का मौका सन् 1612 में प्राप्त हुआ जब तत्कालीन मुगल बादशाह जहाँगीर ने ब्रिटेन की महारानी एलिज़ाबेथ प्रथम के राजदूत, सर टॉमसरो को सूरत में एक व्यापारिक केन्द्र स्थापित करने का अधिकार दिया। भारत में अंग्रेजी राज की औपचारिक शुरुआत सन् 1757 में प्लासी के युद्ध के पश्चात् मानी जाती है जब बंगाल के नबाव ने अपने क्षेत्र को अंग्रेजों को समर्पित कर दिया था। इसके पश्चात् एक व्यापारिक कम्पनी धीरे–धीरे राजनीतिक शक्ति में बदलती गई जिसने बाद में भारत में शासन किया। अब उसके पास सहायक सरकार तथा सैन्य शक्तिया थी, जो सन् 1858 में इसके विघटन तक रही, जब अंग्रेजी सरकार ने भारत सरकार अधिनियम 1858 के तहत भारत को अंग्रेजी सरकार के अधीन कर दिया।

उद्देश्य

इस पाठ का अध्ययन करने के पश्चात आप:

- भारत में राजनीतिक एवं व्यावसायिक क्षेत्र में यूरोपीय साझेदारियों को जान सकेंगे।
- 18वीं शताब्दी में अंग्रेजों एवं फ्रांसीसियों के मध्य संघर्ष के कारणों को पहचान सकेंगे।
- बंगाल में अंग्रेजी शक्ति के उदय को जान सकेंगे।
- भारत में अंग्रेजी शक्ति के विस्तार को जान सकेंगे।
- लार्ड वैलेसले द्वारा की गई सहायक संधियों को जान सकेंगे।
- लार्ड डलहौज़ी द्वारा आरम्भ की गई विलय नीति का अध्ययन करके, भारत में अंग्रेजी शासन के विस्तार के कारणों को जान सकेंगे।

आपकी टिप्पणियाँ

16.1 एशिया के साथ यूरोपीय पूर्वी व्यापार का नया चरण

सोलहवीं तथा सत्रहवीं शताब्दी में व्यापारिक मार्गों पर अधिकार स्थापित करने के बावजूद यूरोपीय उस मूल भूत ढाँचे को सुलझा न सके जो बरसों से भारत तथा पश्चिम के साथ व्यापार में चलता चला आ रहा था। यूरोप में भारतीय वस्तुओं की मांग, भारत में यूरोपीय वस्तुओं की माँग की तुलना में कहीं ज़्यादा थी। व्यापारी यूरोप में भारतीय वस्तुओं को बेचकर भारी मुनाफ़ा कमा रहे थे, क्योंकि यूरोपीय वस्तुओं की तुलना में भारतीय वस्तुएं उत्कृष्ट गुणवत्ता तथा कम मूल्य की थीं। इसके फलस्वरूप भारत में यूरोप का धन आने लगा तथा इसने उन यूरोपीय व्यापारियों के समक्ष कड़ी प्रतिद्वन्दिता प्रस्तुत की जो न तो मूल्यों के साथ समता कर सकते थे और न ही भारतीय वस्तुओं की गुणवत्ता का मुकाबला कर सकते थे।

वास्तव में अपनी स्थापना के पहले 50 वर्षों तक अंग्रेजी ईस्ट इण्डिया कम्पनी की रुचि उपनिवेश के विकास में न होकर व्यापार में ही लगे रहने की थी जैसा कि पुर्तगालियों ने अपना ढाँचा स्थापित किया था। इस ढाँचे में 1650 ई. में बदलाव आया जब पुराने राजभक्त अंग्रेजी वफादार व्यापारियों की शक्ति छिन्न–भिन्न हो गई तथा व्यापारियों के एक नए वर्ग ने कम्पनी पर अधिकार जमा लिया। उन्होंने अमेरिका तथा वेस्ट इण्डीज़ में उपनिवेशवादी व्यापारियों द्वारा स्थापित ढाँचे का अनुसरण किया तथा इंग्लैण्ड, अफ्रीका तथा भारत को आपस में जोड़ दिया तथा उपनिवेशिक बस्तियों का जालतंत्र बिछा कर परस्पर संबंधों का जटिल जालतंत्र विकसित किया।

18वीं शताब्दी के पूर्वार्द्ध में मुगल वंश पतन होने लगा। हालांकि इस राजनैतिक निर्वात को बंगाल, हैदराबाद, अवध, पंजाब तथा मराठा वंश जैसी क्षेत्रीय शक्तियों ने भर दिया। किन्तु ये शक्तियाँ भारत में राजनीतिक स्थिरता का माहौल नहीं बना पाई तथा इसने सत्तालोलुप अंग्रेजी ईस्ट इण्डिया कम्पनी को भारत में अपने पैर पसारने के लिए उपयुक्त अवसर प्रदान किया। अब भारत में शासन करने के लिए औपनिवेशिक मशीनरी के माध्यम से संस्थानों तथा नियमों की आवश्यकता थी। उन्होंने अंग्रेजी साम्राज्य विस्तार के लिए 3 तरीकों को अपनाया। वे थे (i) युद्ध एवं विजय (ii) सहायक सन्धि प्रणाली तथा (iii) विलेय की नीति को अपना कर क्षेत्रों का अधिग्रहण। आरम्भिक तरीके पूर्णतया सैन्य अभियान अथवा राज्यों का प्रत्यक्ष अधिग्रहण था, ये वे क्षेत्र थे जिन्हें पूर्ण रूप से अंग्रेजों का भारत कहा जाता था। कालांतर में कूटनीतिक तौर से अपनी स्थिति सुदृढ़ करने के लिए स्थानीय शासकों से समझौते तथा संधियाँ भी की गई।

पाठगत प्रश्न 16.1

1. भारत में अपना शासन स्थापित करने के लिए अंग्रेजों ने कौन से तरीके अपनाए?

2. 18वीं शताब्दी के पूर्वार्द्ध में भारत की प्रमुख क्षेत्रीय राज्यों का नाम लिखें?

16.2 दक्षिण भारत में आंग्ल-फ्रांसीसी संघर्ष

अठारहवीं शताब्दी के प्रारम्भ में सिर्फ दो ही यूरोपीय व्यापारिक कम्पनियाँ भारत में थी। वे अंग्रेजी एवं फ्रांसीसी कम्पनियाँ थीं जो भारतीय संसाधनों का दोहन कर रही थीं। आंग्ल–फ्रांसीसी शत्रुता ने तीन कर्नाटक युद्धों का रूप लेकर अठारहवीं शताब्दी में दक्षिण भारत में अंग्रेजों की विजय के रूप में एक युगांतकारी घटना को जन्म दिया। अपना वर्चस्व स्थापित करने के लिए ईस्ट इण्डिया कम्पनी के लिए यह आवश्यक हो गया था कि वे फ्रांसीसियों को इस क्षेत्र से समाप्त कर दें। यूरोप में सात वर्षीय युद्ध (1756 1763) के परिणाम स्वरूप भारत में भी अंग्रेजी तथा फ्रांसीसी संस्थान आम प्रतिद्वन्दिता में शामिल हो गए। वांडीवाश के मैदान में तीसरे कर्नाटक युद्ध में फ्रांसीसियों को पराजित कर अंग्रेजों ने एक शताब्दी पुराने संघर्ष पर विराम लगा दिया। इस विजय ने अंग्रेजी व्यापारिक कम्पनी को अन्य यूरोपीय व्यापारिक कम्पनियों के मुकाबले कहीं ऊँची स्थिति प्रदान की। सर आईर कूट द्वारा वांडी वॉश के युद्ध में 1760 में फ्रांसिसियों का दमन किया गया तथा पांडिचेरी को अगले वर्ष अंग्रेजी राज्य का हिस्सा बनाया गया। दक्षिण में डुप्लीकस तथा बसी के द्वारा किए गए कार्य 1760–61 में नष्ट हो गए : भारत में फ्रांसीसी सम्पत्ति पेरिस की संधि–(1763) द्वारा पुनः लौटा दी गई। इस झगड़े को लंदन में सुलझाकर ईस्ट इण्डिया कम्पनी के पक्ष में निर्णय दिया गया क्योंकि भारत में उनके पास थीं शक्तिशाली नौसेना, प्रगतिशील सैन्य शक्ति, तथा उत्कृष्ट नेतृत्व, इंग्लैंड की सरकार द्वारा मिलने वाला सहयोग तथा बंगाल में नियंत्रण के फलस्वरूप मिले संसाधन। कर्नाटक के संघर्षों की घटनाओं का नतीजा यह हुआ कि भारतीय क्षेत्रीय शक्तियों की दुर्बलताएँ (विशेषकर विशाल सेना के बावजूद छोटी यूरोपीय शक्तियों से निपटने में अक्षमता तथा नौ सैनिक अभियान चलाने में असमर्थता) स्पष्ट हो गई तथा 18वीं शताब्दी के शेष इतिहास पर उसने गंभीर प्रभाव डाला।

पाठगत प्रश्न 16.2

1. तीसरे कर्नाटक संघर्ष के दौरान कौन से युद्ध ने एक शताब्दी पूर्व के अंग्रेज तथा फ्रांसीसी वर्चस्व के विवाद पर विराम लगाया?

2. कर्नाटक संघर्षों के परिणामों पर विचार कीजिए?

3. कर्नाटक युद्ध के संघर्ष में अंग्रेजों की सफलता के क्या कारण थे?

16.3 बंगाल पर अंग्रेजों का अधिकारः प्लासी से बक्सर तक (1757-1765)

किसी प्रमुख भारतीय शक्ति के साथ अंग्रेजों का प्रथम संघर्ष बंगाल का संघर्ष था। 1757 से 1763 के बीच का इतिहास नबावों द्वारा अंग्रेजों को धीरे–धीरे सत्ता के हस्तांतरण का इतिहास है। आठ वर्षों की इस छोटी सी अवधि में, तीन सुल्तानों, सिराज–उद–दौला,

आपकी टिप्पणियाँ

मीर–जाफ़र तथा मीर कासिम नें बंगाल पर शासन किया किन्तु वे नवाबों की प्रभूसत्ता बनाए रखने में असफल रहे। अंततः नबावों के हाथों से फिसलकर सत्ता अंग्रेजों के हाथों में चली गई। व्यापार में एशियाई व्यापारियों के साथ मुकाबला करने में अक्षम रहे अंग्रेजी व्यापारियों ने शक्ति पर ज़ोर दिया तथा प्लासी विद्रोह के जरिए 1757 में बंगाल पर नियन्त्रण स्थापित कर लिया। नतीजा यह हुआ कि बंगाल में विजय तो प्राप्त की जिसे वह अपनी सेना के प्रयोग के लिए इस्तेमाल करना चाहते थे परन्तु जिस व्यापार के लिए वह सब कुछ करने को लालायित थे उसी व्यापार का पतन हो गया। जब सिराजुद–दौला 1756 में अली वर्दी खान के उत्तराधिकारी के रूप में बंगाल की गद्दी पर बैठा तो व्यापारिक विशेषाधिकार तथा कम्पनी द्वारा उसका दुरुप्रयोग पहले ही संघर्ष का मुद्दा बन चुका था। कम्पनी को मुगल बादशाह फरुखसियार द्वारा उनके आयात एवं निर्यात के लिए कुछ विशेषाधिकार मिले हुए थे। इस शाही फरमान के मुताबिक कम्पनी को मात्र 3,000 रु. चुकाने थे तथा इसके बदले में वे बंगाल में कर मुक्त व्यापार कर सकते थे। कम्पनी के कर्मचारियों ने इस विशेषाधिकार का प्रयोग तटवर्तीय व्यापार के लिए करना प्रारम्भ कर दिया था, अंतः एशियाई तथा आखिर में अंतर्देशीय व्यापार में भी इस फरमान का स्पष्ट उल्लंघन था। नवाब की अनुमति के बगैर कलकत्ते के आसपास दुर्ग का निर्माण, नवाब के अधिकारों को चुनौती देना तथा उनके शत्रुओं को प्रश्रय देने की घटनाओं ने नवाब को कम्पनी के प्रति उकसाने का कार्य किया। कम्पनी के अधिकारियों को यह भी संदेह था कि नबाव बंगाल में फ्रांसीसियों के साथ संधि की तैयारी में है। कलकत्ता पर सिराजुद्दौला के आक्रमण को एक प्रारंभिक विराध संघर्ष के रूप में देखा गया। अंग्रेजी प्रतिक्रिया प्रारंभ हुई नबाव के खिलाफ षड्यंत्र रचने से जिसमें नवाब के करीबी राय दुर्लभ, अमीर चन्द, मीर–जाफ़र तथा जगत सेठ शामिल थे। अतः 1757 में अंग्रेजों की प्लासी युद्ध (23 जून 1757) में विजय पूर्व निर्धारित थी। यह सैन्य शक्तियों की श्रेष्ठता नहीं थी बल्कि वह षड्यन्त्र था जिसने अंग्रेजों को युद्ध जीतने में मदद की। अंग्रेजों की मदद करने के एवज में नबाव के सेनापति मीर--ज़ाफर को क्लाइव नवाब का पद दिया गया। मीर–ज़ाफर ने कंपनी को उपहार स्वरूप एक करोड़ सत्ततर लाख रू.(1,77,00,000) की धनराशि उपहार में दी तथा कम्पनी अधिकारियों को रिश्वत के रूप में काफी धन दिया। किंतु मीरज़ाफर कम्पनी के अधिकारियों की बढ़ती मांगों को पूरा करने में असफल रहा तथा अंग्रेजों को भी उस कम्पनी के प्रति बढ़ती उसकी नज़दीकियों के प्रति संशय था। प्लासी के युद्ध के बाद नबाव बना सिराजुद्दौला को 1760 में गद्दी से उतार दिया गया तथा अंग्रेजों द्वारा मीर कासिम को इस उम्मीद में गद्दी सौंपी गई कि वह उनकी आर्थिक जरूरतों की पूर्ति करेगा। नए नवाब ने उनकी सहायता के बदले कम्पनी को उनके सैन्य खर्चों के लिए वर्द्धमान, मिदनापुर तथा चित्तागोंग का अधिकार दे दिया। इस सन्धि ने अंग्रेजी सेना की फ्रांसीसी सेना के विरूद्ध अभियान में सहायता की (1760–61), मीर कासिम द्वारा दी गई राशि से कलकत्ता परिषद को दक्षिणी युद्ध में वित्तीय सहायता मिली। नवाब को एक बेहतर प्रशासनिक व्यवस्था स्थापित करने में सफलता प्राप्त हुई किन्तु विशेषाधिकारों के मसले पर जैसे कि कम्पनी द्वारा कर मुक्त निजी व्यापार के मुद्दे पर टकराव होने लगा। प्रत्युत्तर में मीर कासिम ने दो वर्षों के लिए भारतीय तथा अंग्रेजी व्यापार को कर मुक्त कर दिया। इस कदम ने अंग्रेजों के विशेषाधिकार पर चोट की जो उन्होंने खुद के लिए संरक्षित कर रखे थे। वे बराबर शर्तों पर भारतीय उत्पाद का मुकाबला नहीं कर सके। नवाब द्वारा सेना को संगठित करने का प्रयत्न तथा मुर्शिदाबाद से मुंगेर राजधानी स्थानान्तरण को भी कम्पनी के प्रति अपराध के रूप में देखा गया।

जून 1763 में मेजर ऐडमस के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना ने बंगाल के नवाब मीर कासिम को पराजित कर दिया। मीरकासिम पटना भाग गया तथा बादशाह शाह आलम द्वितीय एवं शुजा–उद–दौला (जो अवध का नवाब तथा मुगल सल्तनत का वज़ीर था) से सहायता तक ली। झगड़ा एक शिखर तक पहुँच गया जब पटना में कम्पनी के अधिकारियों ने पटना पर आधिपत्य स्थापित करने का प्रयास किया। यह युद्ध का कारण बना। मीरकासिम एक कुशल प्रशासक तो था परन्तु एक योग्य एवं कुशल सेनापति नहीं

मानचित्र 16.1 भारत 1783 में

आपकी टिप्पणियाँ

था। अतः उसकी सेना पराजित हुई। जब वह अवध की ओर पलायन करने को बाध्य हुआ तो शाहआलम द्वितीय तथा नवाब वज़ीर अपनी रियासत के पूर्वी सूबों के बचाव में आए। यह संघर्ष पटना तक बढ़ा तथा 22 अक्टूबर 1764 में बक्सर का युद्ध लड़ा गया। बक्सर में भारी विजय के पश्चात् अंग्रेजी सेना अवध की ओर बढ़ी। नवाब वज़ीर रोहिला क्षेत्र की ओर भाग गया किन्तु शाह आलम द्वितीय ने अंग्रेजों से संधि कर लीं। बंगाल के तत्कालीन अंग्रेज गवर्नर लार्ड क्लाइव ने इलाहाबाद की संधि अवध के नवाब वज़ीर शुजा–उद–दौला से की जिसके तहत उसे युद्ध के खर्चों के रूप में 50 लाख रुपए का भुगतान कम्पनी को करना था, जिसके पश्चात् उसके क्षेत्र उसे वापस मिल जाते। उसने कम्पनी के साथ यह रक्षात्मक समझौता कर लिया। अवध अब अंग्रेजों के लिए मध्यवर्ती राज्य बन गया। शाह आलम द्वितीय दिल्ली के लिए एक भगौड़ा था तथा दिल्ली अब रोहिल्ला शासक नजीब–उद–दौला के हाथों में आ गई थी। अंग्रेजों ने शाह आलम द्वितीय को **कड़ा** किया तथा इलाहाबाद का क्षेत्र दिया तथा कम्पनी ने बंगाल, बिहार, तथा उड़ीसा की दीवानी प्रदान की। इसके बदले में उसने कम्पनी को 26 लाख रुपया वार्षिक देना स्वीकार किया।

पाठगत प्रश्न 16.3

1. 1757 में बंगाल का शासक था :

   (क) शुजा–उद–दौला (ख) सिराज़–उद–दौला

   (ग) मीर कासिम (घ) मीर ज़ाफर

2. प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया–

   (क) सन् 1757 में (ख) सन् 1764 में

   (ग) सन् 1765 में (घ) सन् 1771 में

3. प्लासी के युद्ध के क्या कारण थे?

   _____

4. मीर ज़ाफर को हटाने के पश्चात् 1760 में बंगाल का नवाब कौन बना?

   _____

5. बक्सर के युद्ध के कारणों का उल्लेख कीजिए।

   _____

16.4 बंगाल में दोहरी शासन प्रणाली

बंगाल में कम्पनी शासन स्थापना की आरंभिक अवस्था में मुगल साम्राज्य की प्रशासन पद्धति का ही अनुसरण किया। मुगल प्रशासन मुख्यतः दो विभागों में कार्य करता था–निज़ामत तथा दीवानी। व्यापक अर्थों में निज़ामत से अर्थ कानून व्यवस्था एवं प्रशासन तथा फौजदारी मामलों से था तथा दीवानी राजस्व प्रशासन तथा नागरिक कानून से संबंधित थी।

आपकी टिप्पणियाँ

प्रान्तीय सूबेदार निज़ामत का प्रभारी हुआ करता था (उसे नज़ीम भी कहा जाता था) तथा दीवान राजस्व प्रशासन का प्रभारी हुआ करता था। इलाहाबाद की संधि–के उपरांत अंग्रेजी ईस्ट इण्डिया कंपनी को बंगाल का दीवान बनाया गया किन्तु लार्ड क्लाइव ने बंगाल शासन पर प्रत्यक्ष नियंत्रण न लेना ही पसन्द किया। यह जिम्मेदारी नवाब के नायब दीवान तथा नायब नज़ीम मुहम्मद रज़ा खान को सौंपी गई। नायब नज़ीम के तौर पर वह नवाब का प्रतिनिधि था वहीं नायब दीवान के नाते वह कम्पनी का प्रतिनिधित्व भी करता था। इस प्रकार नवाब को ही दीवानी तथा फौज़दारी दोनों ही कानूनों को देखना पड़ता था। हाँलाकि उसे अपना कार्य मुहम्मद रज़ा खान के माध्यम से करना था जो अंग्रेजी कम्पनी के नियंत्रण, निर्देशन तथा निरीक्षण में था। दीवान के तौर पर कम्पनी राजस्व की वसूली प्रत्यक्ष किया करती थी जबकि उप–निज़ाम की नियुक्ति के अधिकार द्वारा वह निज़ामत अर्थात पुलिस/न्यायिक शक्तियों पर नियंत्रण रखती थी। इस व्यवस्था को शासन की दोहरी प्रणाली के रूप से जाना गया। इस प्रणाली के तहत अंग्रेजों के पास बिना किसी ज़िम्मेदारी के शक्ति और संसाधन थे वहीं नवाब के पास बिना शक्ति के शासन चलाने की ज़िम्मेदारी थी। इस प्रकार कुशासन का पूर्ण उत्तरदायित्व नवाब का ही होता था। मुगल बादशाह को अदा की जाने वाली मामूली राशि के बदले में एकत्र राजस्व कम्पनी की आय का एक अनन्य साधन रहा।

पाठगत प्रश्न 16.4

1. निज़ामत तथा दीवानी को स्पष्ट कीजिए।

2. दोहरी शासन प्रणाली से क्या तात्पर्य है?

3. लॉर्ड क्लाइव ने दोहरी या द्वैधात्मक शासन पद्धति की शुरुआत क्यों की?

16.5 विस्तार की विचारधारा-साधन और तरीके

एक व्यापारिक कम्पनी की भूमिका से बदल कर अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कम्पनी धीरे–धीरे भारत में सर्वोच्च राजनीतिक शक्ति बन गई। कई अन्य क्षेत्रीय शक्तियाँ भी अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कम्पनी के अधीन हो गई थी। अठारवीं शताब्दी के उत्तरार्द्ध में मैसूर (आधुनिक कर्नाटक) के महान् शासक हैदर अली तथा उसके पुत्र टीपू सुल्तान ने अंग्रेजी फौज की नाक में दम किए रखा। हैदर अली सन् 1749 से मैसूर की सेना का सेनापति था। 1761 ई0 में वह मैसूर का शासक बना। सन् 1781 में सर आयर कूटी के हाथों पराजित होने तक हैदर ने कम्पनी के खिलाफ अपना संघर्ष जारी रखा। अंततः सन् 1799 में टीपू सुल्तान की वीरगति के पश्चात् मैसूर पर अंग्रेजों का अधिकार स्थापित हो गया। सन् 1772 से 1818 के दौरान हुए अंग्रेज–मराठा युद्ध के चलते मराठा साम्राज्य की शक्ति भी धीरे–धीरे क्षीण होती गई तथा अंत में कुछ मराठा क्षेत्र भी अंग्रेजों के कब्ज़े

आपकी टिप्पणियाँ

में चले गए। मराठा तथा मैसूर के अभियानों के दौरान आर्थर वेलेज़ली के नेतृत्व में अंग्रेजों ने पूरे दक्षिण भारत (कुछ फ्रांसीसी तथा स्थानीय शासकों की बस्तियों के अतिरिक्त), पश्चिमी भारत तथा पूर्वी भारत के भूभाग पर आधिपत्य स्थापित कर लिया था।

दूसरा तरीका अंग्रेजों तथा स्थानीय शासकों के बीच हुई सहायक संधियों (सनद) का था। इस योजना के चलते आने वाले समय में देशी रियासतों का निर्माण किया गया। सन् 1798 तथा उसके बाद लॉर्ड वेलेज़ली द्वारा सहायक संधि का प्रस्ताव लाया गया। इस संधि के अंतर्गत, अंग्रेजों ने भारतीय रियासतों की बाहरी खतरों तथा आंतरिक विवादों से रक्षा करना स्वीकार किया। जिसके बदले में इस संधि को अपनाने वाले भारतीय शासकों को अंग्रेजी सैन्य दलों की छावनी बनानी थी तथा उसकी देखभाल के लिए उन्हें अंग्रेजों को आर्थिक सहायता प्रदान करनी थी। इस संधि पर हस्ताक्षर करने वाला शासक अंग्रेजों की पूर्वानुमति के बगैर न तो कोई और संधि कर सकता था न ही किसी युद्ध में भाग ले सकता था। इन राज्यों में एक अंग्रेज पदाधिकारी (रेज़ीडेण्ट) की नियुक्ति होती थी जो राज्य के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप कर सकता था। यह व्यवस्था अंग्रेजी विस्तार के लिए वरदान सिद्ध हुई क्योंकि बिना एक भी पैसा खर्च किए अंग्रेजों के पास विशाल सेना उपलब्ध हो गई थी। यहाँ तक कि इस व्यवस्था ने भारतीय दरबार से विदेशी प्रभाव को भी बाहर निकाल दिया। इस संधि में शामिल होने वाला पहला राज्य हैदराबाद था जिसके निज़ाम ने सन् 1798 में इस संधि पर हस्ताक्षर किए। वह अपने दरबार से फ्रांसीसी अधिकारियों को निकालने तथा उनके स्थान पर अंग्रेजी अधिकारियों की नियुक्ति करने को बाध्य हुआ। उसने अंग्रेजी सेना के रखरखाव के लिए बेल्लारी तथा कुडप्पा क्षेत्र अंग्रेजों को प्रदान कर दिये। इस संधि ने महाराजाओं एवं नवाबों की देशी रियासतों का निर्माण किया। इनमें मुख्य थे–कोचीन (1791 जयपुर (1794), त्रावणकोर (1795), हैदराबाद (1798) तथा मैसूर (1799)। जीतें हुए राज्यों में शामिल था उत्तर– पश्चिमी भूभाग (रोहिलखण्ड, गोरखपुर तथा दोआब) 1801, दिल्ली (1803) तथा सिंध (1843)। सन् 1849 में आंग्ल–सिख युद्ध के उपरान्त पंजाब, उत्तर–पश्चिमी सीमा क्षेत्र तथा कश्मीर जीत लिए गए। अमृतसर की संधि (1850) के तहत् कश्मीर–जम्मू डोगरा वंश को बेच दिया गया तथा इस प्रकार वह भी राजसी रियासत हो गया। सन् 1854 में बेरार तथा 2 वर्ष उपरान्त अवध का राज्य भी अंग्रेजी राज्य का हिस्सा बन गया था। सहायक संधि व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य नए राज्यों को अपने नियन्त्रण में लाना तथा फ्रांसीसी शक्ति को घटाना था जिससे अंग्रेज भारत की प्रमुख राजनीतिक शक्ति बन सके।

अंग्रेजों के अधीन होने वाला अन्तिम राज्य पंजाब था जो 1849 में अंग्रेजी राज का हिस्सा बना। यहाँ महाराजा रणजीत सिंह का शासन था जिन्होंने विभिन्न सिक्ख मिसलों को एक राज्य में संगठित कर लिया तथा उन्होंने प्रशासन की आधुनिक पद्धति की स्थापना की थी। उसकी सेना अंग्रेजी सेना के बाद एशिया की दूसरी सबसे बड़ी संगठित सेना थी। ईस्ट इण्डिया कम्पनी ने महाराजा रणजीत सिंह के साथ दोस्ताना संबंध कायम किये। किन्तु 1839 में उनकी मृत्यु के एक दशक के भीतर ही 2 अंग्रेज–सिख युद्ध हुए तथा अंततः 1849 में पंजाब भी अंग्रेजी राज्य का हिस्सा बन गया।

राज्य विलेय नीति लॉर्ड डलहौजी (जो कि भारत में 1848 से 1856 तक कम्पनी का गवर्नर था) द्वारा लाई गई अधिग्रहण नीति थी। उन दिनों भारतीय राजाओं में प्राकृतिक उत्तराधिकारी, अर्थात् पुत्र के न होने की स्थिति में अपने राज्य की सुरक्षा के लिए बच्चा

गोद लेने का चलन था। (दत्तक पुत्र गोद लेने का चलन था।) किन्तु राज्य विलेय नीति के तहत् कोई भी भारतीय राज्य जो या तो अंग्रेजी राज्य के अधीन था या उसके द्वारा ब्रिटिश अधनिस्थ प्रणाली के सहायक राज्य के रूप में निर्मित थे, वे शासक के अक्षम होने की स्थिति या उसके पुत्र न होने की स्थिति में ब्रिटिश राज्य के अधीन हो जाएंगे। इस प्रकार भारतीयों द्वारा उत्तराधिकारी न होने की स्थिति में उत्तराधिकारी चयन करने की सर्वोच्चता को ही समाप्त नहीं किया बल्कि अंग्रेजों ने भारतीय शासकों की क्षमताओं को आँकने का भी अधिकार हासिल कर लिया।

मानचित्र 16.2 भारत 1797–1805

चूंकि की इस नीति के लागू करने के साथ ही अंग्रेजों ने इस उपमहाद्वीप पर पूर्ण तथा प्रभावी प्रशासनिक नियंत्रण स्थापित कर लिया। इस सिद्धान्त के उपयोग द्वारा सतारा, जयपुर, संभलपुर, नागपुर तथा झाँसी जैसी रियासतों को अंग्रेजों ने विलेय कर लिया था। अक्सर अंग्रेजों द्वारा किये गये रियासतों के अधिग्रहण को न्यायसंगत ठहराया जाता था कि शासक अयोग्य है तथा प्रजा के कल्याण के प्रति अपनी जिम्मेदारी को निभा नहीं पा रहा है जैसा कि अवध के नवाब के साथ 1850 में किया गया।

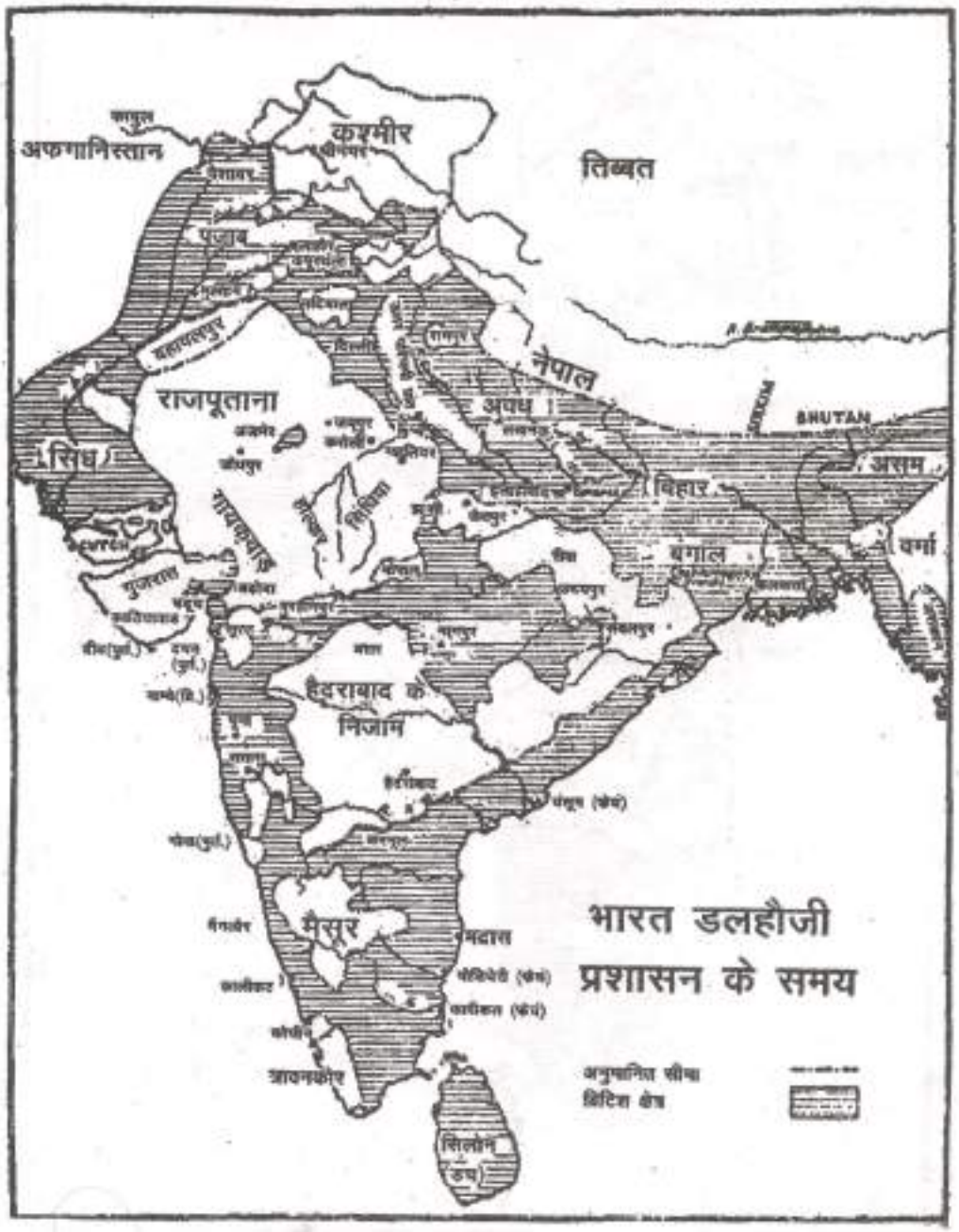

मानचित्र 16.3 भारत–1857

पाठगत प्रश्न 16.5

1. भारत में अंग्रेजी राज्य के विस्तार के लिए लॉर्ड वेलेज़ली द्वारा कौन से उपाय किये गये।

2. सहायक संधि से आप क्या समझते है?

3. लॉर्ड डलहौजी की राज्य विलेय नीति को स्पष्ट कीजिए।

16.6 औपनिवेशिक प्रशासनिक प्रणाली का विकास

सन् 1757 में कम्पनी के एक बड़ी राजनीतिक शक्ति के रूप में स्थापित होने के पश्चात् संवैधानिक परिवर्तनों की आवश्यकता महसूस हुई। कम्पनी के मामलों को अनियंत्रित छोड़ने में अब अंग्रेजी सरकार इच्छुक नहीं थी। व्यापारियों तथा उत्पादकों की तरफ से कम्पनी का एकाधिकार समाप्त करने का दबाव बढ़ता ही जा रहा था। सरकार द्वारा बंगाल में फैलाए भ्रष्टाचार को लेकर जनता आक्रोश में थी। मुक्त व्यापार मुख्य माँग थी। अंग्रेजी संसद ने कई अधिनियम लागू किए जिनमें सबसे पहले 1773 का रेग्युलेटिंग एक्ट आता है, जो कम्पनी के व्यापारियों की उन्मुक्त गतिविधियों पर लगाम लगाने पर कम्पनी के अधिनस्थ क्षेत्रों में कुछ कानून लागू करने से संबंधित था। कम्पनी के शासन की अवधि को 20 वर्ष तक सीमित कर तथा उसके बाद समीक्षा करने का निर्णय लेकर इस अधिनियम ने बंगाल, मुम्बई तथा मद्रास क्षेत्रों पर सर्वोच्च अधिकार अंग्रेजी सरकार को दे दिया। इस अधिनियम ने इन तीनों क्षेत्रों को बंगाल के गवर्नर के अधीन संयुक्त कर भारत में एकीकृत प्रशासन व्यवस्था की शुरुआत की। बंगाल का गर्वनर अब गवर्नर जनरल कहलाता था। वारेन हेस्टिंग्स पहला गवर्नर जनरल था (1773.1785)। पिट्स इंडिया एक्ट (1774) को आधी–अधूरी व्यवस्था कहा जाता है। क्योंकि इसने संसद तथा कम्पनी के बोर्ड अधिकारियों की मध्यस्थता का प्रयास किया, बोर्ड ऑफ कंट्रोल (नियंत्रण बोर्ड) की स्थापना कर संसद के प्रभाव में वृद्धि की जिसके सभी सदस्य ब्रिटिश मत्रिमंडल से चुने जाते थे। एक गवर्नर जनरल के रूप में लॉर्ड कार्नवालिस ने कंपनी के प्रशासन को व्यावसायिक, अफसरशाही तथा यूरोपीय रुप प्रदान किया (1786.1793)। उसने कम्पनी के कर्मचारियों द्वारा व्यापार को गैरकानूनी घोषित किया, व्यापारिक तथा प्रशासनिक कार्यों को पृथक किया तथा कंपनी के कर्मचारियों के वेतन में सुधार किया। राजस्व संग्रह कम्पनी का मुख्य प्रशासनिक कार्य बन गया था। अतः लॉर्ड कार्नवालिस ने बंगाल में जमीन का कानूनी स्वामित्व जमींदारों को प्रदान किया। बदले में जमींदार सरकार को एक निश्चित राजस्व एक निर्धारित तारीख पर चुकाते थे। यह व्यवस्था हमेशा के लिए चलनी थी अतः इसे 'स्थाई बंदोबस्त' का नाम दिया गया। इस व्यवस्था को जमींदारी व्यवस्था के नाम से जाना गया। इस व्यवस्था का तात्कालिक परिणाम यह हुआ कि अब जमींदार भूमि के मालिक हो गए, किसान अपनी ही जमीन पर किराएदार हो गया। और तो और जमीन अब क्रय विक्रय की सम्पत्ति हो गई तथा शासन को कृषि संबंधी विस्तार तथा

आपकी टिप्पणियाँ

विकास से प्रतिबंधित कर दिया गया। हालाँकि मुम्बई तथा मद्रास में रैयतवाड़ी बंदोबस्त अमल में लाया गया जिसमें किसान एक मुश्त रकम सीधे सरकार को देते थे।

1813 ई. के चार्टर एक्ट ने भारत के साथ व्यापार पर कम्पनी का एकाधिकार समाप्त किया। राजस्व, प्रशासन तथा नियुक्ति के क्षेत्र हालाँकि कम्पनी के नियंत्रण में ही रहे। 1833 के चार्टर एक्ट ने चीन के साथ कम्पनी के व्यापार के एकाधिकार पर विराम लगाया। इस एक्ट ने गर्वनर जनरल तथा उसकी सलाहकार परिषद् से कानून बनाने की शक्ति, तथा विधायी से संबंधी शक्तियाँ छीन लीं।

अंग्रेजी क्षेत्र के विस्तार तथा बढ़ती प्रशासनिक आवश्यकताओं को देखते हुए नौकरशाही की आवश्यकता थी जो अंग्रेजी आधिपत्य क्षेत्रों को नियंत्रित कर सके। सन् 1785 में लॉर्ड कार्नवालिस ने कम्पनी के अधिकारियों को एक पेशेवर संगठन में ढाला जिन्हें अच्छा वेतन मिलता था, भारत में जो न तो निजी व्यवसाय करते थे तथा न उत्पादन में उनके कोई स्वार्थ थे। वे नियमित पदोन्नति तथा पेंशन के भी हकदार हुआ करते थे। सभी उच्च पद अंग्रेजों के ही लिए आरक्षित होते थे तथा भारतीय उनसे बहिष्कृत थे। कॉर्नवालिस ने बंगाल के हर ज़िले के लिए अंग्रेजी न्यायाधीशों की तथा राजस्व संग्रह के लिए अंग्रेजी राजस्व क्लेक्टरो को नियुक्त किया। सन् 1806 से कम्पनी ने अपने युवा अभ्यर्थियों को लंदन के निकट हेलीबॅरी कॉलेज में प्रशिक्षण प्रदान करना प्रारंभ किया। नियुँक्तियाँ हालाँकि संरक्षणात्मक व्यवस्था के अंतर्गत ही होती थी। सन् 1829 में पूरे ब्रिटिश भारत में छोटे छोटे जिलों की स्थापना कर इस प्रणाली को सुदृढ़ किया गया क्योंकि एक ही व्यक्ति जो कि राजस्व संग्रहक, न्यायाधीश तथा पुलिस प्रमुख का दायित्व संभाले था, वे पूर्ण निरंकुश ढंग से कार्य करते थे। 1833 के उपरांत कम्पनी अपने मनोनीत अभ्यर्थी प्रतियोगिओं में से परीक्षाओं द्वारा चुनती थी। सन् 1853 के पश्चात् इनका चयन परीक्षा के द्वारा योग्यता के आधार पर किया जाने लगा जिसमें कोई भी ब्रिटिश उम्मीदवार भाग ले सकता था। भारतीय नागरिक सेवाएं (i) अत्याकर्षक वेतन प्रदान करने वाली, (ii) इनके पास इतने राजनीतिक अधिकार थे जिसकी इंग्लैण्ड में कोई भी अफसर कल्पना नहीं कर सकता था।

पाठगत प्रश्न 16.6

1. ईस्ट इण्डिया कम्पनी की गतिविधियों को नियंत्रित करने के लिए ब्रिटिश संसद ने सर्वप्रथम कौन सा अधिनियम लागू किया था?

2. बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था?

3. चार्टर एक्ट 1833 की मुख्य विशेषताएं क्या थी?

4. लंदन के निकट कौन से कॉलेज में कंपनी के अधिकारियों को प्रशिक्षण प्राप्त होता था?

आपकी टिप्पणियाँ

16.7 न्यायिक संगठन

अठारहवीं शताब्दी के मध्य तक अंग्रेज बंगाल, कलकत्ता तथा बम्बई जैसे प्रमुख क्षेत्रों में अपनी पैठ बना चुके थे। साथ ही साथ यहीं पर अंग्रेजी न्यायिक व्यवस्था का भी उदय हुआ। बम्बई, कलकत्ता तथा मद्रास में सन् 1727 में दीवानी मुकदमों के लिए महापौर न्यायालयों की स्थापना हुई। सन् 1772 में एक व्यापक न्यायिक व्यवस्था, जिसे अदालत कहा गया, की स्थापना दीवानी तथा फ़ौजदारी न्याय क्षेत्रों के लिए हुई। अपने–अपने रूढ़िगत कानूनों की जानकारी उपलब्ध कराने के लिए हिन्दू पंडित तथा मुस्लिम काज़ियों (शरीय कानून–न्यायाधीश) की नियुक्ति की गई, किन्तु व्यापक स्तर पर अंग्रेजी सामान्य तथा वैधिक कानून ही लागू हुआ करते थे। भारत में पूरी अंग्रेजी न्याय प्रणाली में दो मूल सैद्धान्तिक नियम निरुपित हुए थे–कानून का शासन (Rule of Law) तथा कानून के समक्ष समानता (Equality before Law)। अतः सिद्धांत के अनुसार कानून सर्वोपरि था (कुछ नियम जो अधिकारों, विशेषाधिकारों तथा कर्तव्यों की व्याख्या करते थे, तथा सभी नागरिक चाहे वो किसी भी धर्म, जाति या वर्ग के हों, कानून के समक्ष समान थे। बन्दी प्रत्यक्षीकरण याचिका के सिद्धांत ने यह स्पष्ट किया कि स्थानीय अधिकारी अथवा न्यायिक प्राधिकरण के लिखित आदेश के बगैर किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार कर जेल में नहीं डाला जा सकता था। यहां तक कि सरकारी कर्मचारियों को भी उनके कृत्यों के आधार पर कानून की परिधि में चुनौती दी जा सकती थी। कानून के शासन (Rule Of Law) की स्वाभाविक परिणिति कानून के समक्ष समानता थी जो कानून का शासन (Rule Of Law) का अनुसरण करती थी। कानून के समक्ष समानता, जातियों में बंटे भारतीय समाज के लिए आदर्श कानून बनकर आया।

रेग्युलेटिंग एक्ट (1773) के तहत् कांउसिल में सम्राट द्वारा कलकत्ता के प्रेसीडेंसी शहर में एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई। इस अधिनियम के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय के पास बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा में सभी प्रकार के न्याय क्षेत्रों को देखने का अधिकार था, सिर्फ एक अपवाद के अतिरिक्त, उन परिस्थितियों में विवादित राशि रू. 4,000. से अधिक होती थी, तो उनके न्याय के लिए लंदन की प्रीवीकाउन्सिल में अपील की जा सकती थी। मद्रास तथा बम्बई में अतंत क्रमशः 1801 तथा 1823 में सर्वोच्च न्यायालयों की स्थापना हुई।

लॉर्ड कॉर्नवालिस ने जिला स्तर पर कार्यकारी तथा न्यायिक कर्तव्यों को अलग–अलग किया, सदर दीवानी अदालत दीवानी मामलों में अपील करने वाली सर्वोच्च संस्था थी, जिसके अधीन दीवानी अपील के चार प्रान्तीय न्यायालय कलकत्ता, ढाका, मुर्शिदाबाद तथा पटना थे। तत्पश्चात् स्थानीय स्तर पर जिला न्यायालय, रजिस्ट्रार न्यायालय तथा कई अधिनस्थ न्यायालय थे जो पदानुक्रमानुसार थे। कई फौजदारी आपराधिक मामलों को सुलझाने में सक्रिय थे, जो कि सर्कट न्यायालय कलकत्ता, ढाका, मुर्शिदाबाद तथा पटना के अधिकार क्षेत्र में आते थे, जो कलकत्ता की सदर निज़ामत अदालत द्वारा नियंत्रित होते थे। सन् 1831 में विलियम बेन्टिंक ने इन चारों प्रान्तीय न्यायालयों को समाप्त कर उनके कार्य को जिलाधिकारियों तथा आयुक्तों में वितरित कर दिया।

आपकी टिप्पणियाँ

पाठगत प्रश्न 16.7

1. कानून का शासन (Rule Of Law) तथा कानून के समक्ष समानता (Equality before Law) को स्पष्ट कीजिए?

2. सन् 1773 में रेग्युलेटिंग एक्ट के तहत् किस जिले में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई?

अतः निष्कर्ष स्वरूप भारत पर अंग्रेजी शासन ने भारतीय इतिहास के रुख को बदल दिया। अंग्रेज भारत में सत्रहवीं शताब्दी के प्रारंभ में आए। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कम्पनी की स्थापना एशिया में व्यापार पर एकाधिकार को लेकर हुई। भारत में व्यापारिक अधिकारों को प्राप्त करने के लिए, अंग्रजों ने कई भारतीय रियासतों का अधिग्रहण किया तथा अपने नियमों तथा नीतियों की स्थापना की। शीघ्र ही सम्पूर्ण भारतीय उपमहाद्वीप अंग्रेजी शासन के अधीन हो गया। हालाँकि उसकी नीतियाँ भारतीयों द्वारा पसन्द नहीं की गई तथा उन्होनें मिलकर कम्पनी के खिलाफ 1857 में विद्रोह किया। इसने कम्पनी के शासन को समाप्त किया तथा भारतीय शासन ब्रिटेन की महारानी के प्रत्यक्ष नियन्त्रण में चला गया। 1858 के इण्डियन गवर्नमेंट एक्ट भारत सरकार अधिनियम के अनुसार कम्पनी के शासन के स्थान पर ब्रिट्रेन के राजवंश का शासन भारत में कायम हुआ।

आपने क्या सीखा

आपने भारतीय उपमहाद्वीप पर अंग्रेजी ईस्ट इण्डिया कम्पनी के शासन की स्थापना के विषय में पढ़ा। आपने पढ़ा कि किस प्रकार 1757 में प्लासी के युद्ध के पश्चात्, बंगाल के नबाब ने अंग्रेजी सेना के समक्ष अपने अधिकार क्षेत्रों का समर्पण कर दिया, तथा सन् 1765 में जब कम्पनी को बंगाल तथा बिहार की दीवानी अर्थात राजस्व संग्रह के अधिकार की प्राप्ति, अथवा सन् 1772 में जब कम्पनी ने कलकत्ता में अपनी राजधानी की स्थापना कर प्रथम गवर्नर जनरल वॉटेन हेस्टिंस की नियुक्ति कर शासन में प्रत्यक्ष रुप से लिप्त हो कर किस प्रकार अंग्रेजी शासन का विस्तार हुआ। यह प्रक्रिया भारत के अन्य हिस्सों में भी चलती रही। अंग्रेजी सरकार के विस्तार एवं संस्थापना ने सहायक संधि व्यवस्था, तथा डलहौजी की राज्य विलेय नीति के तहत् अधिग्रहण नीति का सहारा लिया। इस अध्याय में भारत में 1858 से पूर्व ब्रिटिश प्रशासनिक तथा न्यायिक संस्थाओं की संस्थापना को भी बतलाया है। अंग्रेजी ईस्ट इण्डिया कम्पनी का शासन 1858 तक चला जब गवर्नमेंट ऑफ इण्डिया एक्ट 1858 के परिणाम स्वरूप ब्रिटिश सरकार ने भारत का प्रत्यक्ष नियन्त्रण अपने हाथ में ले लिया।

पाठांत प्रश्न

1. भारत में अंग्रेजों ने सर्वोच्चता कैसे प्राप्त की?
2. लॉर्ड वेलेज़ली ने ब्रिटिश शक्ति का विस्तार किस प्रकार किया? सहायक संधि के गुण–दोषों की व्याख्या कीजिए।
3. भारत में अंग्रेजी राज्य के विस्तार के लिए डलहौज़ी द्वारा अपनाई गई नीति की विस्तृत जानकारी दीजिए।
4. भारत में ब्रिटिश न्यायिक संगठन का वर्णन कीजिए।

पाठगत प्रश्नों के उत्तर

16.1

1. अंग्रेजों ने, i. युद्ध तथा विजय, ii. सहायक संधि व्यवस्था तथा, iii. राज्य विलेय नीति के तहत राज्यों का अधिग्रहण कर ब्रिटिश शासन का विस्तार किया।
2. बंगाल, मैसूर, हैदराबाद, अवध, पंजाब तथा मराठा साम्राज्य।

16.2

1. जनवरी 1760 में वांडी वाश का युद्ध
2. अंग्रेजी सर्वोच्चता स्थापित हुई तथा भारतीय क्षेत्रीय शक्तियों का नौसैनिक हस्तक्षेप में असमर्थता, बड़ी सेनाओं के होते हुए छोटी यूरोपीय शक्तियों को रोकने में अप्रभावी रहना इत्यादि दुर्बलताएँ और अधिक स्पष्ट हुईं।
3. भारत में हुए कर्नाटक युद्धों में अंग्रेजी सफलता के मुख्य कारण थे–भारत में उनकी सुदृढ़ नौ–शक्ति, अच्छा नेतृत्व तथा प्रगतिशील सैन्य शक्ति, इंग्लैण्ड की सरकार से मिला कम्पनी को सहयोग तथा बंगाल के संसाधनों पर अधिकार।

16.3

1. सिराज–उद–दौला
2. (क) 1757
3. जून 1756 में सिराजुद्दौला का कलकत्ते के कोर्ट विलियम पर आरम्भिक आक्रमण तथा कब्ज़ा, भारत में मुगल शाही निर्यात व्यापार दस्तकों जो 1717 में ब्रिटिश को दिए गए आंतरिक व्यापार के लिए, का गैरकानूनी प्रयोग, नवाब के दरबार में अंग्रेजी हस्तक्षेप, तथा नवाब की अनुमति के बगैर कोर्ट विलियम किले की किलेबन्दी एवं शस्त्रीकरण।
4. मीर कासिम

आपकी टिप्पणियाँ

5. अंग्रेजी तथा भारतीय व्यापारियों के लिए समान व्यापार कर तथा नवाब द्वारा मुर्शिदाबाद से मुंगेर राजधानी स्थानान्तरण एवं सेना पुर्नसंगठन मीर कासिम को पदच्युत करने के मुख्य कारण थे जिसकी परिणिती अन्ततः बक्सर के युद्ध में हुई।

16.4

1. निज़ामत से अभिप्राय है: कानून व व्यवस्था का प्रशासन तथा फौज़दारी मामलों का निपटारा; दीवानी का अर्थ राजस्व प्रशासन तथा नागरिक न्याय।
2. कम्पनी का दीवान होने के नाते वह राजस्व इकट्ठा करता था, नवाब का डिपटी नवाब होने के नाते वह निज़ामत या पुलिस अथवा न्यायिक शक्तियों का नियंत्रण करता था।
3. कम्पनी बंगाल के प्रशासन् की जिम्मेदारी को प्रत्यक्ष रुप से नहीं लेना चाहती थी। वह तो राजस्व इक्ट्ठा करने की ही इच्छुक थी।

16.5

1. सैन्य अभियान तथा सहायक संधि व्यवस्था।
2. इस व्यवस्था के तहत्, अंग्रजों के अधीन भारतीय शासकों को अपने राज्य में अंग्रेजी सेना का रख रखाव करना पड़ता था। तथा इन सेनाओं के लिए भुगतान करना पड़ता था। उन्होंने अपने बाह्य मामलों का नियंत्रण ब्रिटिश को सौंप दिया। जिसके बदले में ईस्ट इण्डिया कम्पनी उनके प्रतिद्वन्दियों से उनकी रक्षा करती थी।
3. राज्य विलेय नीति, लॉर्ड डलहौजी द्वारा लागू की गई अधिग्रहण नीति थी। कोई भी भारतीय राज्य, जो अंग्रेजी अधीनस्थ व्यवस्था के तहत् दास राज्य के रूप में अंग्रेजों के प्रत्यक्ष नियंत्रण में हो या अंग्रेजों द्वारा निर्मित हो, शासक का पुत्र न होने की स्थिति तथा उसके अक्षम होने की स्थिति में अपने आप ही ब्रिटिश राज्य के अधीन हो जाएगा।

16.6

1. 1773 का रेग्युलेटिंग एक्ट
2. वारेन हेस्टिंग्स
3. 1833 के चार्टर अधिनियम में चीनी व्यापार पर कम्पनी के एकाधिकार को समाप्त किया।
4. हेलीबरी कॉलेज।

16.7

1. कानून का शासन (Rule of law) तथा कानून के समक्ष समानता (Equality before law) का अर्थ था कि कानून से बढ़कर कोई नही है (कुछ नियम जिनमें अधिकार, विशेषाधिकार तथा कर्तव्यों की व्याख्या की गई थी) तथा सभी नागरिक वे किसी भी धर्म, जाति, या हैसियत के हों कानून के समक्ष बराबर हैं।
2. कलकत्ता का प्रेसीडेंसी शहर

पाठगत प्रश्नों के संकेत

1. देखें उपखंड 1.2
2. देखें उपखंड 1.5, अनुच्छेद 1–2
3. देखें उपखंड 1.5, अनुच्छेद 4
4. देखें उपखंड 1.7

शब्दावली

1. **ईस्ट इंडिया कंपनी**
   सन् 1600 में स्थापित संयुक्त–शेयर कम्पनी थी क्योंकि कम्पनी के व्यापारी लंदन से भारत में व्यापार करने आए थे। आरम्भ में व्यापार में संलग्न यह कम्पनी भारत में 1858 तक शासन करती रही।
2. **द्वैद्यात्मक अथवा दोहरा प्रशासन**
   बक्सर के युद्ध के पश्चात् यह व्यवस्था बंगाल में लागू हुई। बंगाल के दीवान के रूप में कम्पनी राजस्व की प्रत्यक्ष वसूली करती थी जबकि निज़ामत या पुलिस तथा न्यायिक शक्तियाँ नवाब के पास ही रही।
3. **सहायक सन्धि व्यवस्था**
   भारतीय रियासतों को अंग्रेजी राज्य में सम्मिलित करने के उद्देश्य से लॉर्ड वैलेस्ले ने सहायक संधि व्यवस्था लागू की। इस सिद्धान्त के तहत् अंग्रेजी शासन के अधीन देशी राज्यों को अपनी सेना के बजाय अंग्रेजी सेना की अपने राज्य में देखभाल/रखरखाव करना पड़ता था। अपने बाह्य मामलों के लिए उन्हें अंग्रेजी सरकार पर निर्भर रहना पड़ता था जिसके बदले में ईस्ट इण्डिया कम्पनी प्रतिद्वन्दियों से उनकी रक्षा करती थी।
4. **राज्य विलेय नीति**
   भारत के गर्वनर जनरल लॉर्ड डलहौजी द्वारा प्रस्तावित यह नीति अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कम्पनी द्वारा लाई गई अधिग्रहण नीति थी। इस सिद्धान्त के अन्तर्गत अंग्रेजी राज्य के अधीन सभी भारतीय रियासतें स्वतः ही अंग्रेजी राज्य का हिस्सा बन जाएंगी यदि या तो शासक अक्षम हो, अयोग्य हो या बिना उत्तराधिकारी के मृत्यु को प्राप्त हो गया हो।
5. **चार्टर एक्ट**
   ईस्ट इंडिया कम्पनी की गतिविधियों को नियन्त्रित करने के लिए अंग्रेजी संसद में चार्टर एक्ट पास किया गया जिसमें कम्पनी को कई व्यापारिक विशेषाधिकार तथा 1858 तक भारत पर शासन करने का अधिकार प्रदान किया गया। 1793 में पारित चार्टर एक्ट के अनुसार कम्पनी को भारत में शासन करने के लिए 20 वर्ष के लिए अधिकार दिया गया। तत्पश्चात् क्रमशः 1813, 1833 तथा 1853 में यह अधिनियम संशोधित हुआ।
6. **कानून का शासन**
   इसका अर्थ था कि कानून सबसे ऊपर है। कोई भी कानून से बढ़कर नहीं है एवं यह सब पर लागू होता हैं। चाहे शासक हो या प्रजा, सरकार या नागरिक, कोई भी

आपकी टिप्पणियाँ

कानून से ऊपर नहीं है तथा कानून से मुक्त कोई नहीं है तथा कानून की परिधि में कोई भी छूट का हकदार नहीं है।

7. **कानून के समक्ष समानता**

कानून के समक्ष समानता के सिद्धान्त के अनुसार कानून के सामने हर कोई बराबर था, किसी को कोई कानूनी विशेषाधिकार प्राप्त नहीं था। कानूनी समकक्षता ने जाति, धर्म तथा वर्ग से परे कानूनी कार्यवाई को जन्म दिया।